उभरते राष्ट्रों के लिए विदेशी बैंकों की संरचना - भारतीय उदाहरण*

आर. गांधी

देवियो और सज्जनो !

बैंकिंग और वित्त जगत के सहभागियों तथा एशिया के पूंजी बाजार का विकास करने के संबंध में एशिया प्रतिभूति उद्योग एवं वित्तीय बाजार संघ (एएसआईएफएमए) के इस वार्षिक सम्मेलन में साथी विनियामकों के बीच होना खुशी एवं सम्मान की बात है। सम्मेलन की विषय वस्तु (थीम) बहुत समसामयिक है। थीम का संबंध पूंजी बाजार से है किंतु मैंने यह भी देख रहा हूं कि विचार-विमर्श के लिए आपने ऋण एवं बैंकिंग को भी शामिल किया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से अन्य सत्रों, जिनका भारतीय संदर्भ में सीधा महत्त्व है, एक पैनल सत्र विशेष रूप से भारत के बारे में था। उस पैनल चर्चा में भारतीय पूंजी बाजार के खोले जाने के बारे में चर्चा की गई। मैं, भारत में विदेशी बैंक खोलने के बारे में चर्चा करना चाहता हूं।

2. मेज़बान देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने में विदेशी बैंक परिवर्तनकारी भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक तरफ, वे विदेशी निवेश को दिशा देने में प्रमुख माध्यम का कार्य करते हैं तो दूसरी तरफ, वे वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में दक्षता लाते हैं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से घरेलू स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं के दक्षता स्तर को उन्नत करते हैं। भौगोलिक रूप से विदेशी बैंकों की संरचना, जो बैंकिंग संरचना का उप-समूह है, अर्थव्यवस्था में वित्तीय संरचना के अभीष्ट रूप से प्रभावित होगी। घरेलू क्षेत्र में विदेशी बैंकों को किस हद तक भूमिका निर्वाह करने की अनुमति दी जाए यह प्रत्येक अर्थव्यवस्था की बाजार संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। विदेशी पूंजी के प्रवाह को अस्थिर करने के मद्देनजर लचीलेपन को बनाए रखने के लिए मेजबान विनियामक का भरोसा एक महत्त्वपूर्ण बात होगी। इस प्रक्रिया में, वित्तीय लचीलापन बनाए रखते हुए विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय बैंकों की अपेक्षाओं तथा विदेशी बैंकों की भूमिका एवं सेवाओं के संबंध में मेजबान देश के प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के बीच सामंजस्य बनाए रखना हमेशा एक चुनौती बना रहता है। प्राधिकारियों द्वारा विदेशी बैंकों के लिए समुचित ढांचा तैयार करने और आर्थिक विकास की प्रत्येक अवस्था में उसकी समीक्षा करके, ताकि दोनों पक्षों के अवसरों के अवसरों में कमी न होना सुनिश्चित किया जा सके, कुछ हद तक इस चुनौती को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है। अस्थिरताकारी पूंजी प्रवाह से घरेलू अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए समुचित नीतिगत प्रतिक्रिया करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

3. भारत में बैंकिंग का इतिहास सचमुच लंबा है। भारतीय केंद्रीय बैंकिंग पूछताछ समिति (1931) के अनुसार, भारत में मुद्रा उधार देने की शुरुआत वैदिक काल, अर्थात 2000 से 1400 ईसा पूर्व हुई होगी। भारत में पेशेवर बैंकिंग का अस्तित्व 500 ईसा पूर्व रहा होगा। 400 ईसा पूर्व के समय के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं एवं उधार दरों का उल्लेख मिलता है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात, तत्कालीन आर्थिक नीति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र बहुत अधिक विनियमित रहा। 1991 में भुगतान संतुलन की संकटपूर्ण स्थिति के बाद आर्थिक सुधारों की सुरुआत होने के बाद भारत ने चरणबद्ध ढंग से वित्तीय क्षेत्र सुधारों का प्रारंभ किया। निजी क्षेत्र के नए बैंकों की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करते हुए बैंकिंग क्षेत्र को विनियमन में ढील दी गई। निजी क्षेत्र के नए बैंकों को प्रारंभ करने की अनुमति देते हुए बैंकिंग उद्योग को विनियमन-मुक्त किया गया। 1993 में दस नए निजी भारतीय बैंकों की स्थापना की गई, उसके बाद 2003 में दो बैंकों की स्थापना की गई। बैंकिंग क्षेत्र को विनियमन-मुक्त करने की दिशा में अन्य नोट करने योग्य उपायों में निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देना, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं के लाइसेंसीकरण को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना, ब्याज दरों को विनिमयन-मुक्त करना, वित्तीय बाजारों का विस्तार करना तथा सघन बनाया जाना इत्यादि शामिल हैं।

4. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से निर्मित हुआ है ताकि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कुछ विशिष्ट वाणिज्य बैंक हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं, निजी स्वामित्व वाले बैंक हैं तथा विदेशी स्वामित्व वाले बैंक भी हैं। छोटे बैंक भी हैं जिनका कार्यक्षेत्र सीमित है। सहकारिता की

* मैरिना बेय सैंड्स, सिंगापुर में 6 नवंबर 2014 को आयोजित एशिया प्रतिभूति उद्योग एवं वित्तीय बाजार संघ (एएसआईएफएमए) के वार्षिक सम्मेलन 2014 में श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य भाषण। श्री एस. वेंकट रामन द्वारा उपलब्ध कराई सहायता के प्रति आभार।

तर्ज पर संगठित हुए लघु एवं सीमांत किसानों की ऋण, प्रसंस्करण तथा बाजार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सहकारी संस्थाओं का सृजन किया गया। अपेक्षाकृत कम साधनसंपन्न लोगों की बैंकिंग एवं ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी संस्थाओं का शहरी सहकारी बैंकों के रूप में शहरों एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ। ऋण सहकारी संस्थाओं एवं वाणिज्य बैंकों की सकारात्मक विशेषताओं को तथा विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े तबकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सृजन किया गया। इसके अलावा, ऋण उपलब्धता के अंतर को पूरा करने एवं ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना का प्रयोग भी किया गया, हालांकि यह छोटे पैमाने पर किया गया। विभिन्न प्रकार के बैंकों का विकास होने के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अपेक्षित बैंकिंग उपलब्धता और समावेशन के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है, जैसा कि अधिकांश विकसित एवं कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है।

5. विश्व बैंक के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित डाटाबेस का प्रयोग करते हुए अनेक अन्य अर्थव्यवस्थाओं से, जिनमें बैंक का प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली विद्यमान हैं, विभिन्न देशों के बीच तुलना से पता चलता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र अन्य तुलनीय विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान बैंकिंग क्षेत्र की तुलना आकार और उपलब्धता (आउटरीच) के मामले में अभी पीछे है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट[1] के अनुसार भारत में प्रति 100,000 लोगों के लिए लगभग 11 एटीएम एवं तकरीबन 11 बैंक शाखाएं हैं जबकि ब्राजील में 119 एवं 47, रूस में 182 एवं 38, चीन में 38 एवं 8, दक्षिण अफ्रीका में 60 एवं 10, सिंगापुर में 58 एवं 10, यूके में 125 एवं 24 हैं। प्रति 100,000 लोगों के लिए वैश्विक औसत 34 एटीएम एवं 12 शाखाओं का है। एटीएम/जीडीपी जैसे आंकड़ों के मामले में शायद हमारी स्थिति बेहतर है।

6. भारत में विभिन्न विशेषज्ञ समितियां बैंकिंग क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तनों की आवधिक जांच करती रही हैं। समितियों ने भारतीय बैंकिंग संरचना को मजबूत करने का समर्थन किया है ताकि विलय एवं अधिगृहण के माध्यम से सु-पूंजीकृत, स्वचालित एवं प्रौद्योगिकी आधारित बैंकों की रचना की जा सके, निजी क्षेत्र के अधिक बैंकों को अनुमति प्रदान की गई है ताकि बैंकिंग संरचना में प्रतियोगिता में वृद्धि की जा सके, ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे बैंकों की स्थापना की जा सके जो स्थानीय प्रकृति के हों, विदेशी बैंकों की अधिक सक्रिय सहभागिता की जा सके, समुचित जोखिम प्रबंध क्षमताओं में वृद्धि करने के माध्यम से वर्तमान संरचना को बजबूत बनाया जा सके तथा इनके मूल कार्यों को दक्षतापूर्वक समावेशी ढंग से करने के लिए विधिक, बीमा संबंधी संकल्पों तथा विवेकपूर्ण उपायों को स्थापित किया जा सके।

7. भारत में सर्वव्यापी बैंकिंग मॉडल अपनाया गया है। जहां तक सर्वव्यापी बैंकों की संरचना की बात है, यह बैंक के नेतृत्व वाली मिलीजुली संरचना है अर्थात, बैंक स्वयं होल्डिंग कंपनियां हैं जो अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के माध्यम से विशिष्ट कारोबार करते हैं। इस संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि क्रेडिट कार्डों, प्राथमिक डीलर, पट्टे पर देना, किराये पर लेना (हायर परचेज), फैक्टरिंग इत्यादि का संचालन या तो बैंक के विभागों में आंतरिक रूप से या फिर बैंक के बाहर अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के माध्यम से किया जा सकता है। बीमा, शेयर दलाली, आस्ति प्रबंध, आस्तियों की पुनर्रचना, उद्यम पूंजी निधीयन तथा आधारभूत संरचना के लिए वित्तीयन सिर्फ बैंक के बाहर से ही किए जा सकते हैं। ऋण देने की गतिविधियां अनिवार्य रूप से बैंक के अंदर से ही होनी चाहिए। निवेश बैंकिंग की सेवाएं, आंतरिक विभागीय गतिविधियों के रूप में या फिर अनुषंगियों के माध्यम से बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, बैंक द्वारा अनुषंगी कंपनी या वित्तीय संस्थान सहित वित्तीय सेवा कंपनी, शेयर या अन्य सूचकांकों, जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं आदि में, जो अनुषंगी नहीं है, इक्विटी निवेश पर बंदिशें सर्वव्यापी बैंकों द्वारा निवेश बैंकिंग सेवाओं बीमा कारोबार के विस्तार को सीमित करती हैं। परिणामस्वरूप, भारत में बैंकिंग समूहों के अंदर विशाल निवेश बैंकिंग तथा बीमा संबंधी गतिविधियां अधिक नहीं हैं।

8. कुछ देशों में वर्गीकृत बैंक लाइसेंसिंग प्रणाली होती है जहां पर लाइसेंस वाली संस्था द्वारा संपादित की जा सकने वाली गतिविधियां विशेषरूप से निर्दिष्ट होती हैं। वर्गीकृत लाइसेंस जारी करने के लिए वर्गीकरण की शर्त पूंजीगत परिस्थितियों पर आधारित हो सकती हैं, जैसा कि इंडोनेशिया में प्रचलन में है या गतिविधियों पर आधारित हो सकती हैं, जैसा कि आस्ट्रेलिया, सिंगापुर एवं हांग कांग में प्रचलन में है।

[1] विश्व विकास सूचक : वित्तीय उपलब्धता, स्थिरता एवं दक्षता - विश्व बैंक की रिपोर्ट (2014)।

9. वित्तीय क्षेत्र का विस्तार होने और उसके गहन होने के साथ ही यह जरूरत महसूस की जा रही है कि बैंक उस स्थिति से आगे बढ़ें जहां सभी बैंक सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और वे अपने विशिष्ट क्षेत्र का चयन करें तथा मुख्यतः अपने चुनिंदा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करें। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और वह वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकाकार होती है, वैसे-वैसे परिष्कृत वित्तीय सेवाओं तथा उत्पादों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों की उपस्थिति जरूरी होगी। तदनुसार, भारत में छोटी-छोटी सेवाएं प्रदान करने वाले विशिष्ट बैंकों की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है।

10. भारतीय जनसंख्या का बड़ा भाग अभी भी औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की पहुंच से बाहर है और इस संबंध में संस्थागत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने जून 2014 में छोटे बैंकों तथा भुगतान बैंकों के बारे में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है। भुगतान बैंक और लघु बैंक -दोनों 'छोटे' और 'विशिष्ट' बैंक हैं जिनका साझा उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। जहां, लघु बैंक जमाओं तथा ऋण उपलब्ध कराने जैसे समूचे मूलभूत बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराएंगे किंतु उनका आकार सीमित होगा, वहीं भुगतान बैंक सीमित संख्या में उत्पाद उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि मांग जमाओं को स्वीकार करना तथा निधियों का विप्रेषण करना, किंतु उनकी उपलब्धता का जाल, विशेषरूप से पिछड़े इलाकों में व्यापक होगा जो या तो स्वयं उनकी शाखाओं के नेटवर्क या कारोबारी संपर्कियों या फिर अन्य लोगों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नेटवर्कों के माध्यम से हो सकता है। लघु एवं भुगतान बैंकों के बारे में अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

11. भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति को स्थानीय बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, दक्षता बढ़ाने वाले कारकों में से एक के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही परिष्कृत वित्तीय सेवाओं एवं जोखिम प्रबंधक कार्यप्रणालियों को भी लेकर आने वाले कारक के रूप में भी देखा जा रहा है जिन्हें घरेलू बैंक अपना सकते हैं। विभिन्न देशों के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि विदेशी बैंकों के कुछ प्रमुख प्रेरक विदेशों में उनके अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, मेजबान देशों में उपलब्ध अवसर, स्थानीय लाभों का आकर्षण, विदेशी बैंकों के प्रवेश इत्यादि बाधाओं की अनुपस्थिति या समाप्ति होंगे।

12. भारत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों का हिस्सा 6.5 प्रतिशत है। विदेशी बैंकों के परिचालन विषम हैं और वे मुख्यरूप से शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं। विदेशी बैंकों की कुल 318 शाखाओं में से 315 शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में हैं। भारत में वाणिज्य बैंकों की कुल शाखाओं में विदेशी बैंकों का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है।

13. वर्तमान में, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति शाखाओं या प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में है। भारतीय रिज़र्व बैंक, शाखा-रूप में बैंकिंग हेतु सभी प्रकार के बैंकिंग कारोबार के लिए, जो खुदरा, थोक, विदेशी मुद्रा एवं व्युत्पन्नी उत्पादों, क्रेडिट कार्डों इत्यादि का हो सकता है, एकल श्रेणी बैंकिंग लाइसेंस जारी करता है। शाखाओं के माध्यम से किए जाने वाले कारोबार पर कुछ अन्य देशों की तरह कोई पाबंदी नहीं है जहां पर खुदरा जमा स्वीकार करने, स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने, ग्राहकों के प्रकार, क्षेत्र, जमा बीमा की उपलब्धता, समाशोधन तक पहुंच एवं निपटान प्रणाली इत्यादि पर पाबंदियां होती हैं। 31 अक्तूबर 2014 की स्थिति के अनुसार भारत में 44 विदेशी बैंक हैं जो 318 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रही हैं। भारत में प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में 45 विदेशी बैंक भी हैं।

14. भारत में विदेशी बैंक शाखा-रूप में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से विद्यमान हैं। विदेशी बैंकों को भारत में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों (डब्लूओएस) की स्थापना करने की भी अनुमति है। एफडीआई दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करने हेतु रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में रूपरेखा 28 फरवरी 2005 को जारी किया। रूपरेखा दो चरणों में विभाजित थी - पहला चरण मार्च 2005 से मार्च 2009 की अवधि तक फैला हुआ था और दूसरे चरण का प्रारंभ पहले चरण से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा के बाद हुआ।

15. पहले चरण में, भारत में पहले से कार्यशील विदेशी बैंकों को 'एकल-रूप उपस्थिति' की शर्त के अनुसार उनकी वर्तमान शाखाओं को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई थी और भारत में शाखा विस्तार के लिए पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों को वर्तमान शाखाओं के समान माना जाना था। पहले चरण के दौरान पर्याप्त प्रोत्साहनों के अभाव में किसी भी विदेशी बैंक ने शाखा स्थापित करने या उनकी शाखाओं को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों में परिवर्तित करने के लिए पहल नहीं की। पहले चरण में प्राप्त हुए अनुभव की समीक्षा किए जाने का समय आने के वक्त वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल

मची हुई थी और दुनिया भर में बैंकों की वित्तीय मजबूती के बारे में अनिश्चितताएं बरकरार थीं। उस समय, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति को निर्धारित करने वाली वर्तमान नीति और प्रक्रियाओं को जारी रखना उचित समझा गया।

16. वित्तीय संकट से मिली सीख के आधार पर रिज़र्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के स्वरूप के संबंध में जनवरी 2011 में एक चर्चा-पत्र जारी किया। चर्चा-पत्र पर प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी की स्थापना करने की रूपरेखा नवंबर 2013 में जारी की गई। अगस्त 2010 के बाद शाखा के रूप में बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने वाले विदेशी बैंकों को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा यदि वे तय शर्तों को पूरा करें और निर्धारित विनियामी सीमा रेखाओं के अंतर्गत हों। शर्तें इस प्रकार की होंगी, जैसे विदेशी बैंक जिस क्षेत्राधिकार में प्रारंभ किए जाएं वहां यह विधान हो कि कारोबार समाप्त करने की कार्यवाही होने पर स्थानीय देश के जमा दावों को प्राथमिकता दी जाए, जिन विदेशी बैंकों के स्थानीय क्षेत्राधिकार में पर्याप्त प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हो, जटिल संरचना वाले विदेशी बैंकों, विदेशी बैंक जिन पर जनता को व्यापक रूप से यकीन न हो, उनकी पहली शुरुआत पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के रूप में ही की जा सकती है। यदि, भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं (प्रकटीकरण व्यवस्थाओं सहित) से संतुष्ट नहीं हो और उन्हें जिस देश में प्रारंभ किया जाना हो वहां के बाजार के नियम या भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की उपस्थिति के सहायक कंपनी रूप को अनिवार्य माने या यदि कोई विदेशी बैंक, जो अगस्त 2010 के बाद शाखा रूप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया हो या जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक उसके कारोबार के आकार के कारण प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण माने तो भी एसे बैंकों को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के माध्यम से कार्य करना होगा। हालांकि, भारत में अगस्त 2010 से पहले से कार्यशील विदेशी बैंकों को उनका कारोबार या तो शाखा-रूप में बैंकिंग कारोबार करने या फिर उन शाखाओं को पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के रूप में परिवर्तित करने का विकल्प होगा।

17. विदेशी बैंकों ने भारत में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी संरचना पर रुचि दर्शाई है और वे बैंकिंग की उपस्थिति के रूप के उनकी रणनीति पर आंतरिक रूप से विचार-विमर्श कर रहे हैं। प्रारंभ में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के संबंध में मतदान करने के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी ₹5 बिलियन (लगभग 82 मिलियन अमरीकी डॉलर) होगी। किसी विद्यमान विदेशी बैंक, जो पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी में परिवर्तित होने का इच्छुक हों या उसे आवश्यकता हो, उनके पास ₹5 बिलियन की निवल मालियत होनी चाहिए। पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से संवेदनशील विशिष्ट स्थानों को छोड़कर किसी भी केंद्र में शाखाएं खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं होगी यदि वे बैंक वर्ष के दौरान अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित केंद्रों में खोल रहे हों। विदेशी बैंकों की शाखाओं के मामले में, भारत में शाखा विस्तार के लिए उनको रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेना होगा।

18. भारत में वित्तीय मध्यस्थता मुख्यतः बैंकों के माध्यम से होती है। अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों के ऋण आहरण में सुधार लाने, जिनको औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से सहयोग के माध्यम से सहायता की आवश्यकता है, के उद्देश्य से 1970 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य यह था कि बैक ऋणों का अधिक विस्तार हो, उसके दुरुपयोग को रोका जाए, विशाल मात्रा में ऋण प्रवाह का रूख प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की ओर किया जाए और इसे आर्थिक विकास का प्रभावी उपाय बनाया जाए। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा का विकास दीर्घावधि में हुआ है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनको यदि प्राथमिकता-प्राप्त की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाए तो उनको समय पर पर्याप्त वित्तीयन की प्राप्ति नहीं होगी, जैसे कि लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए लघु ऋण, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण, लघु आवास परियोजनाओं को ऋण, शिक्षा ऋण एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को अन्य लघु ऋण। वर्तमान में परिभाषा समीक्षाधीन है।

भारत में विदेशी बैंकों के परिचालन - अक्सर उभरने वाले मुद्दे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक का रूख

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना

19. वर्तमान में, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सकल बैंक अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का लक्ष्य हासिल करना अपेक्षित होता है। यह अपेक्षा विदेशी बैंकों की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी लागू होगी। जिन विदेशी बैंकों की देश में 20 या अधिक शाखाएं हों, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की घरेलू

बैंकों के समान अपेक्षाएं की जा रही हैं जो 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ करके पांच वर्ष के अवधि के दौरान, चरणबद्ध ढंग से किया जाना है। जिन बैंकों की 20 से कम शाखाएं हो उनके लिए समग्र लक्ष्य 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

20. विदेशी बैंक समय-समय पर यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि उनकी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थिति तथा कृषि/लघु ऋण प्रदान करने में विशेषज्ञता जैसे कारणों से उनको प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता से पूर्णतः या आंशिक रूप से मुक्ति दी जाए। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समान विकास के लिए औपचारिक रूप से ऋण प्रवाह अनिवार्य है। रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यन को शुल्क मुक्त बनाना सुनिश्चित करते हुए इन क्षेत्रों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे नवोन्मेष करें और अपने वैश्विक अनुभवों के आधार पर अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नए मॉडलों को विकसित करें। विदेशी बैंकों ने, बहुत हद तक प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग की शुरुआत की है। इन्होंने भारत में एटीएम की शुरुआत की, जिसका अनुकरण घरेलू बैंकों ने किया और आज इसने भारत में बैंकिंग के परिदृश्य को ही बदल दिया है। 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समान नियमों के अनुसार प्राथमिता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के संबंध में यह नोट किया जाए कि इन (विदेशी बैंकों) में से बहुत से बैंकों की भारत में उपस्थिति 100 वर्षों से भी अधिक समय से है। उनकी उपस्थिति घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शुरुआत होने से भी पहले से है। इसलिए ये विदेशी बैंक, न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं बल्कि वे स्थानीय जनता की संस्कृति एवं मनोदशा से भी सुपरिचित हैं। इसलिए, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता उनके लिए बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।

21. यह समझना चाहिए कि विकसित देशों सहित विभिन्न क्षेत्राधिकारों ने चिह्नित क्षेत्रों, समुदायों एवं कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य ऋण प्रदान करने की धारणा की आवश्यकता रही है।

बैंक-रहित एवं अल्प-बैंकिंग वाले केंद्रों में शाखाएं खोलना

22. विदेशी बैंकों की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों को इस शर्त पर कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत के बैंक-रहित ग्रामीण (टिअर 5 एवं टिअर 6) केंद्रों में अर्थात, जहां पर ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेनों के लिए कोई भौतिक संरचना न हो, किसी भी केंद्र में स्वतंत्रतापूर्वक शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। टिअर 1 के अंतर्गत महानगरीय और शहरी केंद्र, टिअर 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत अर्द्ध-शहरी केंद्र तथा टिअर 5 एवं 6 के अंतर्गत ग्रामीण केंद्र आते हैं।

23. प्रसंगवश, शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों पर ये शर्तें लागू नहीं होती हैं, यद्यपि, शाखा खोलने के लिए उन्हें प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि, शहरी एवं महानगरीय केंद्रों में विदेशी बैंक की शाखाओं के केंद्रण को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि जब अपनी उपस्थिति में विस्तार करने की इच्छा रखें तो विदेशी बैंकों को अल्प-बैंकिंग वाले केंद्रों पर भी शाखाएं खोलना चाहिए, जिसकी माप किसी जिला/राज्य में प्रत्येक शाखा कार्यालय के अंतर्गत आने वाली औसत जनसंख्या के माध्यम से किया की जाती है। मैं यह जानता हूं कि इस तरह की शर्तें अन्य क्षेत्राधिकारों में लागू की जाती हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग की पहुंच के स्तर की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं।

24. वर्तमान में, विदेशी बैंकों की लगभग 99 प्रतिशत शाखाएं देश के शहरी और महानगरीय केंद्रों पर हैं। बैंकों की पहुंच एवं वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने के लिए बैंक-रहित केंद्रों में शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। शाखा विस्तार की उदार नीति के साथ, पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों के लिए वह भीतरी क्षेत्र उपलब्ध होगा जिस पर भारत में विदेशी बैंकों की अब तक नजर ही नहीं पड़ी है। इस प्रकार से विदेशी बैंकों के पास पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के स्वरूप के तहत वृद्धि के पर्याप्त अवसर हैं। विदेशी बैंक शाखाओं के मामले में भी अल्प-बैंकिंग सुविधा वाले केंद्रों में शाखाएं खोलने के माध्यम से बहुत संभावनाएं उपलब्ध हैं। प्रसंगवश, आवश्यक नहीं है कि अल्प-बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही हों, बहुत से केंद्र महानगरीय एवं शहरी क्षेत्रों के किनारों पर अवस्थित हैं। इसके अलावा, देश भर में सौ स्मार्ट शहरों का विकास करने की भारत सरकार की योजना के साथ, इन केंद्रों में शाखाएं खोलने की अपार संभावनाएं हैं और वास्तव में मेरा मानना है कि भारत में विद्यमान बहुत से विदेशी बैंकों ने अब तक तो ऐसे केंद्रों में जाने की रणनीति भी शुरू कर दी होगी ताकि उनको पहले जाने वालों का लाभ मिल सके।

निशे बैंकिंग बनाम सर्वव्यापी बैंकिंग

25. किसी वाणिज्य बैंकों के लिए अपेक्षित विविध प्रकार की गतिविधियों के स्थान पर विदेशी बैंक अक्सर कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग जैसी निशे बैंकिंग करते हैं। इस तरह के अनुरोध मुख्य रूप से सीमित भौगौलिक उपस्थिति, विदेशी शाखा परिचालनों के लिए बाधाकारी कारोबारी मॉडल, स्थानीय बाजार में विशेषज्ञता की कमी इत्यादि जैसे कारणों से उत्पन्न होते हैं।

26. भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों को सभी प्रकार के बैंकिंग कारोबार करने के लिए सर्वव्यापी बैंकिंग लाइसेंस जारी करता है। शाखाओं द्वारा किए जाने वाले कारोबार के प्रकार के संबंध में कोई पाबंदी नहीं है, जबकि कुछ अन्य देशों में विदेशी बैंक शाखाओं पर खुदरा जमाराशियां स्वीकार करने, स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने, ग्राहकों के प्रकार, जमा बीमा की उपलब्धता, समाशोधन की उपलब्ध एवं निपटान प्रणालियों इत्यादि पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। एक बार स्थापित हो जाने के बाद भारत में विनियमों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कारोबार करने के मामले में विदेशी बैंकों से लगभग राष्ट्रीय बैंकों की तरह का व्यवहार किया जाता है। जैसा कि पहले सूचित किया गया, अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण हमारी इच्छा और अपेक्षा है कि विदेशी बैंक वाणिज्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं ताकि बैंकिंग गतिविधियों की पहुंच और अधिक बढ़ सके। यह सूचित करने की जरूरत नहीं है कि प्रक्रिया के दौरान विदेशी बैंक उनके जेखिमों को विभाजित कर सके हैं और इसके कारण उपलब्ध अंतर्निहित अवसरों का दोहन करने में भी मदद मिली है।

अजैविक तरीके से वृद्धि करना

27. इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि क्या रिज़र्व बैंक भारत में परिचालनरत बैंकों के अधिग्रहण की संभावनाओं को तलाशने के लिए विदेशी बैंकों को अजैविक तरीके से विस्तार करने की अनुमति प्रदान करेगा। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक का रूख भारत में विदेशी बैंकों के पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी के ढांचे में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। दोहराते हुए, यह कहा गया है कि एक बार जब पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी कुछ समय के लिए परिचालनगत होती हैं और भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश की पहुंच की सीमा और विदेशी बैंकों के कामकाज के बारे में समीक्षा किए जाने के उपरांत पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनियों को भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों से विलय एवं अधिग्रहण की अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि विदेशी निवेश की समग्र सीमा 74 प्रतिशत तक रहे। विलय एवं अजैविक वृद्धि के प्राकृतिक घटना होने के कारण इस बात संभव है कि कुछ समय के बाद बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फायदों तथा उससे होने वाले लाभों को को प्राप्त करने के लिए बहुत सी छोटी संस्थाएं ऐसी संभावनाएं तलाशने लगें। साथ ही, मूलभूत वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता वाली जनसंख्या में वृद्धि होने से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे, और अधिक संस्थाएं नए बैंकों के प्रवेश संबंधी नीति के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराना चाहेंगी तथा विद्यमान विदेशी बैंक अवसरों का लाभ उठाने के लिए भीतरी क्षेत्रों में जाने के लिए खोजी मार्ग ढूंढेंगे। हालांकि, बैंकिंग प्रणाली में हुए विकास तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के आधार पर रिज़र्व बैंक उचित समय पर विदेशी बैंकों की उपस्थिति के संबंध में नीति की समीक्षा करेगा।

उपसंहार

28. समापन करते हुए, भारत में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सावधानीपूर्वक उनके विस्तार की अनुमति प्रदान करते हुए विदेशी बैंकों का स्वागत करने का लंबा इतिहास रहा है। भारत में विदेशी बैंकों को सर्वव्यापी बैंकिंग, अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बहुत उन्नत और लाभकारी कारोबारी वित्तीयन, निवेश बैंकिंग, खजाना बैंकिंग तथा व्यक्तिगत बैंकिंग की वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। विदेशी बैंकों की अनुमत्य एवं अपेक्षित संरचना वर्तमान अंतरराष्ट्रीय चरित्र के अनुसार प्रभावी है। विनियामी एवं पर्यवेक्षी दृष्टिकोण सामान्यतः समान एवं गैर-भेदकारी हैं। भारत में आपका स्वागत है।

ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।